

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन

प्राथमिक सरकारी जरिये पटवारी हल्का बनाम विप्राथी श्री
राजस्व मुकदमा नं. 165/24 /20 निर्णय दिनांक
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
जिसके अनुसार अप्राथी ने सरकारी भूमि मौजा के ख. नं. 925/842 में रकबा
..... बीघा किस्म पर संवत 281 खरीफ में काश्त कब्जा पर अतिक्रमण किया है।
अप्राथी को राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्राथी से तामिल हो
चुका है अप्राथी उपस्थित/अनुपस्थित।

अप्राथी ने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा कास्त करना स्वीकार किया/बावजूद नोटिस
तामिल के अप्राथी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः अप्राथी को
विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त
सरकार किया जाकर अप्राथी पर बतौर लगान / शास्ति के भूमि के वार्षिक लगान रूपये 25
का 50 गुणा रूपये 13 अक्षरे आरोपित किये जाते हैं।
भू.अ. निरीक्षक हल्का को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर / मौके पर खड़ी फसल को नीलाम कर फर्द नीलामी स्वीकृत
हेतु प्रस्तुत करे। पालना रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। जुर्माना / फसल नीलामी की वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व
लेखाकार सूचित हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 7/10/24 को
सरे आम लिख कर सुनाया गया।

तहसीलदार चौहटन

तहसीलदार चौहटन